उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-13/2016/एस-2-1747/दस-2016-88क(1)/2016
लखनऊ:: दिनांक :: 01 सितम्बर,2016

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' के कालम-2 में उल्लिखित अधिकारी को जनहित में उनके वर्तमान पद एवं स्थान से तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है-

क्र0	अधिकारी का नाम/पद नाम / वर्तमान तैनाती	पद व स्थान, जहां स्थानान्तरित करके तैनात किया गया
1	2	3
1	श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय, वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	वित्त अधिकारी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी।

2- श्री सुरेंश चन्द्र उपाध्याय के उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त होने वाले वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री यमुना प्रसाद सिंह, निदेशक (वित्त) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते के दिया जाता है।

3- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अपने वर्तमान पद व स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-13/2016/एस-2-1747(1)/दस-2016 तद्दिनांक,</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3- कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
4- प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ/वाराणसी।
8- संबंधित अधिकारीगण।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।